



कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:— 3691/12-1 दिनांक, पौड़ी, जून, 25, 2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

Proposal No.FP/UK/Road/11055/2015.

विषय:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग (लम्बाई 5 किमी०) के निर्माण हेतु लो०नि०वि० को वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उक्त विषयांकित प्रस्ताव में आपके द्वारा अभी भी निम्न आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया है।

1. परियोजना के वारचार्ट में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
2. वृक्ष पातन के प्रमाण पत्र में फील्ड रिपोर्ट प्रपत्र-ए 2.17 की सूची एवं प्रस्ताव के प्रपत्र पार्ट-II के मद संख्या 4 में पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या में अन्तर है। आपके द्वारा वृक्षों के पातन के संशोधित प्रपत्र-ए 2.17 की सूची में 87 वृक्ष अंकित किये गये हैं। वृक्षों की (0-10 व्यास वर्ग) में 41 वृक्षों की संख्या को कम करते हुए वृक्षों की संख्या 46 आती है, किन्तु प्रपत्र पार्ट-II के मद संख्या 4 में यह संख्या 45 अंकित है। इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए संशोधित सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।

कृपया प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजने से पूर्व सभी प्रपत्रों एवं सूचनाओं का भली भांति परीक्षण कर लिया जाय, ताकि उच्च स्तर से किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न हो।

अतः उक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचना प्रस्तुत की जाय।

भवदीय,

(जी०सोनार)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।